

वेनेजुएला के विरुद्ध अमेरिकी कार्रवाई: शक्ति, कानून और वैश्विक प्रभाव

UPSC प्रासंगिकता – GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन

चर्चा में क्यों?

वेनेजुएला के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.) के हालिया अभियान, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के कथित प्रयास शामिल हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और शक्तिशाली देशों द्वारा एकतरफा कार्रवाई की सीमाओं पर बहस छेड़ दी है। जहाँ अमेरिका इसे कानून प्रवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सही ठहरा रहा है, वहीं कानूनी विद्वानों का तर्क है कि ये कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।



पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला को अधिनायकवादी प्रथाओं, विवादित चुनावों और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों के आरोपों के कारण वैश्विक जांच का सामना करना पड़ा है। इन चिंताओं को देखते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के क्षेत्र पर सीधी कार्रवाई की है, जिससे संप्रभुता और एकतरफा हस्तक्षेप के बीच तनाव पैदा हो गया है।

बल का प्रयोग और संप्रभुता



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

कानूनी ढांचा:

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग पर रोक लगाता है।
- **अपवाद:** केवल आत्मरक्षा (अनुच्छेद 51) या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के तहत ही बल प्रयोग संभव है। वेनेजुएला के मामले में ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं है।

विश्लेषण: अमेरिकी कार्रवाई को 'कानून प्रवर्तन' (अपराधियों को पकड़ना) के रूप में पेश करना किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने का कानूनी अधिकार नहीं देता। ऐतिहासिक रूप से, **मुनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine)** के तहत लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप को अक्सर 'नव-साम्राज्यवादी' विस्तार के रूप में देखा गया है।

नेताओं की उन्मुक्ति (Immunity)

- **व्यक्तिगत उन्मुक्ति:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अनुसार, किसी देश के वर्तमान प्रमुख (Sitting Head of State) को विदेशी अदालतों में मुकदमे से उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
- **मादुरो का मामला:** चूंकि मादुरो का वेनेजुएला के क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण है, इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तिगत उन्मुक्ति के हकदार हैं। वैधता या विवादित चुनाव के आधार पर उन्हें जबरन पद से हटाना अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है।

IAS-PCS Institute

भू-राजनीतिक आयाम

- **क्षेत्रीय स्थिरता:** वेनेजुएला की सीमाएं कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों से मिलती हैं। अमेरिकी हस्तक्षेप से प्रवासन (Migration), व्यापार और सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है।
- **बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा:** रूस और चीन ने मादुरो का समर्थन किया है, जिससे लैटिन अमेरिका वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है।

मानवीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **नागरिक परिणाम:** सैन्य अभियानों से मानवीय संकट और गहरा सकता है। वेनेजुएला पहले से ही भोजन की कमी, आर्थिक पतन और सामूहिक पलायन का सामना कर रहा है।
- **वैश्विक जिम्मेदारी:** 'प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट' (R2P) जैसे मानदंड नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी के बिना की गई एकतरफा कार्रवाइयां अक्सर स्थिति को सुधारने के बजाय और बिगाड़ देती हैं (जैसे इराक 2003 और लीबिया 2011 में देखा गया)।



भारत का दृष्टिकोण और सबक

1. **संप्रभुता और अहस्तक्षेप:** भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में संप्रभु समानता और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थन किया है।

2. **बहुपक्षवाद (Multilateralism):** भारत एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की वकालत करता है, जहाँ विवादों का समाधान आपसी बातचीत और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हो।

अंतराष्ट्रीय कानून को मजबूत करना

विद्वानों का मानना है कि समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसका पालन न करना है। लोकतांत्रिक देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून को अपनी सुविधा के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उसका सम्मान करें।

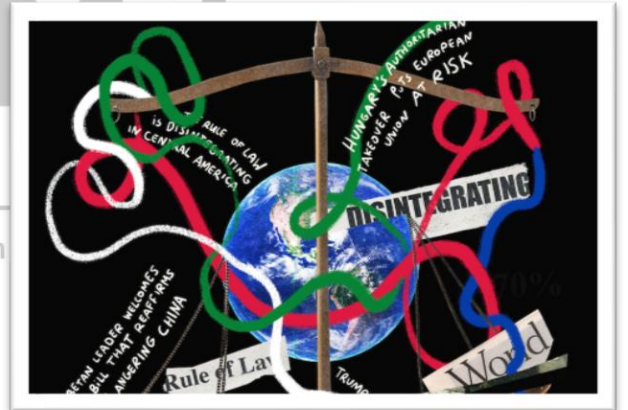
IAS-PCS Institute

आगे की राह

- **संप्रभुता का सम्मान:** संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना एकतरफा सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए।
- **राष्ट्र प्रमुखों की उन्मुक्ति:** वैश्विक स्थिरता के लिए मौजूदा नेताओं की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखें।
- **बहुपक्षवाद को बढ़ावा:** विवादों को संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों (जैसे OAS) के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।
- **नागरिकों की सुरक्षा:** रणनीतिक निर्णयों में मानवीय परिणामों को सर्वोपरि रखना चाहिए।

निष्कर्ष

वेनेजुएला का मामला 'शक्ति बनाम कानून' के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। सुरक्षा और कानून प्रवर्तन जायज चिताएँ हो सकती हैं, लेकिन एकतरफा कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और वैश्विक विश्वास को कमजोर करती है। लोकतंत्रों को सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतराष्ट्रीय कानून शक्ति का दास नहीं, बल्कि शक्ति पर अंकुश लगाने का माध्यम बने।



प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का मुख्य उद्देश्य किस पर प्रतिबंध लगाना है?

- घरेलू कानून प्रवर्तन में बल प्रयोग
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग
- आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग
- पूर्व-निवारक मानवीय हस्तक्षेप

उत्तर: B) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग

प्रश्न 2: वर्तमान (सिटिंग) राष्ट्राध्यक्षों को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है?

- a) केवल कार्यात्मक प्रतिरक्षा
- b) व्यक्तिगत प्रतिरक्षा (Immunity Ratione Personae)
- c) विदेशी न्यायालयों से कोई प्रतिरक्षा नहीं
- d) केवल पद छोड़ने के बाद प्रतिरक्षा

IAS-PCS Institute

उत्तर: B) व्यक्तिगत प्रतिरक्षा (Immunity Ratione Personae)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. “अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिरक्षा तथा वैश्विक कानूनी मानदंडों को सुदृढ़ करने में लोकतांत्रिक देशों की भूमिका के संदर्भ में वेनेजुएला के विरुद्ध अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।” (150 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

**OPTIONAL
SUBJECT**
**वैकल्पिक विषय
PSIR**
Fee - मात्र 6999 ₹
**केवल 01 से
06 जुलाई**
Dr. Faiyaz Sir

(वैकल्पिक विषय) Optional Subject
**GEOGRAPHY
OPTIONAL**
Fee - मात्र 6499 ₹
**केवल 21 से
26 जून**